न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 18.07.2023

मु0न0ः—66 / 2023

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. विक्रम सिंह पुत्र समयसिंह
2. विकास सिंह पुत्र समयसिंह
   नाबालिगान जरिये नेचुरल गार्जियन माता सजनीदेवी पत्नि समयसिंह जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

सायलान

बनाम

1. समयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।
2. उप पंजीयक टोडाभीम।
3. तहसीलदार टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांकः—29.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करीरी के ख0न0 888 / 0.61है0 मे गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 754 / 0.02, 755 / 0.19, 756 / 0.25, 760 / 0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.47 है0 मे गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1 / 2 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है सायलान नाबालिग है तथा दावा पिता के विरूद्व पेश किया है।

यह है कि उक्त आराजी शिम्भूसिंह पुत्र मोतीसिंह की खातेदारी मे थी गैरसायल न0 1 को शिम्भूसिंह पुत्र मोती सिंह से मिली है जो सायलान व गैरसायल न0 1 का बुजुर्ग है। तथा सायलान का बाबा लगता है उक्त आराजी को सायलान काश्त कर रहे है सायलान न0 1 व 2 गैरसायलान न0 1 के पुत्र है तथा सजनी देवी गैरसायल न0 1 क पत्नि है गैरसायल न0 1 को शराब की लत है, सायलान उक्त आराजी मे काश्त कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे है उसे शराब के लिये बेचने के लिये आमदा है इस प्रकार ग्राम खानपुर की आराजी मे सायलान 2 / 3 हिस्से तथा 1 / 3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने के हकदार है।

वॉका दिनांक 15.07.2023 का है कि यह कि सायलान अपनी आराजी मे खडी फसल की देखभाल कर रही थी कि गैरसायल न0 1 अपने साथ आराजी पर आया तथा खेत हो दिखाने लगा सायलान द्वारा पूछने पर कहने पर अगर तुम उक्त आराजी क्यो बेच रहे हो तुमको आराजी को बेचने की क्या आवश्यकता है इन बच्चो का तो ख्याल करो क्या तुम इनको जीते जी मारना चाहते हो इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:07 IST
Reason: SelfAttested.

प्राईमाफेसी केश सायलान के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम खानपुर के ख0न0 888 / 0.61 है0 मे तथा

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

ख0न0 754/0.02, 755/0.19, 756/0.25, 760/0.01 ग्राम करीरी मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे सायलान को बेदखल नही करे आराजी को रहन व्यय नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम करीरी के ख0न0 888/0.61है0 मे गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 754/0.02, 755/0.19, 756/0.25, 760/0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.47 है0 मे गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है सायलान नाबालिग है तथा दावा पिता के विरुद्ध पेश किया है। उक्त आराजी शिम्भूसिंह पुत्र मोतीसिंह की खातेदारी मे थी गैरसायल न0 1 को शिम्भूसिंह पुत्र मोती सिंह से मिली है जो सायलान व गैरसायल न0 1 का बुजुर्ग है। तथा सायलान का बाबा लगता है उक्त आराजी को सायलान काश्त कर रहे है सायलान न0 1 व 2 गैरसायलान न0 1 के पुत्र है तथा सजनी देवी गैरसायल न0 1 की पत्नि है गैरसायल न0 1 को शराब की लत है, वर्णित आराजीयात को शराब के लिये बेचने के लिये आमदा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 की आराजी ख0न0 888 रकवा 0.61 है0 मे गैरसायलान न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 754/0.02, 755/0.19, 756/0.25, 760/0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.47 है0 मे गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है, गैरसायल न0 1 को वर्णित आराजीयात विरासत के रूप मे प्राप्त हुई है, चुकि सायलान, गैरसायल न0 1 के पुत्र व पत्नि है इसलिये इनका नोशनल शेयर हिस्सा बनता है। इसलिये वर्णित आराजीयात को रहन व्यय नही हो इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम करीरी के ख0न0 888/0.61 है0, ख0न0 754/0.02, 755/0.19, 756/0.25, 760/0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.47 है0 मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वर्णित आराजीयात की ता दावा फैसला रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(सुनीता मीना)

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड ... कलक्टर
... सिटी
जिला-गंगापुर सिटी